संख्याः 1102/9–आ–4–97–499एन/95

प्रेषक,

श्री देवव्रत दीक्षित,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त मण्डलायुक्त,
उत्तर प्रदेश।
2. समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।
3. उपाध्यक्ष,
विकास प्राधिकरण लखनऊ/देहरादून/ वाराणसी/गोरखपुर/ मुरादाबाद/ इलाहाबाद/ कानपुर/ आगरा/ बरेली व मेरठ।

आवास अनुभाग–4 लखनऊः दिनांक 10 जुलाई, 1997

विषयः नजूल भूमि के प्रबन्ध एवं निस्तारण आदि के सम्बन्ध में नीति का निर्धारिण।

महोदय,

उपर्युक्त सम्बन्ध में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा पट्टागत नजूल भूमि एवं समाप्त पट्टे की नजूल भूमि फ्री–होल्ड किये जाने हेतु समय–समय पर शासनादेश जारी किये गये हैं। शासन के संज्ञान में यह बात लायी गयी है कि कतिपय नजूल भूमि के पट्टाधारकों द्वारा अवैध विक्रय किया जा रहा है। इस सम्बन्ध में यह स्पष्ट किया जाता है कि नजूल भूमि के पूर्व में स्वीकृत कतिपय पट्टे में पट्टादाता भूमि का हस्तान्तरण/विक्रय प्रतिबन्धित है तथा कतिपय पट्टों में पट्टाधारक पट्टादाता की बिना लिखित पूर्व अनुमति प्राप्त किये पट्टे की भूमि का विक्रय/हस्तान्तरण नहीं कर सकते हैं। अतः ऐसे मामलों में जहां नजूल भूमि की पट्टादाता की लिखित पूर्व अनुमति प्राप्त कर हस्तान्तरण/विक्रय किये जाने की शर्त है, पट्टे की शर्त का अनुपालन किया जाना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त ऐसी नजूल भूमि, जिसके पट्टे की सम्पूर्ण अवधि समाप्त हो गयी है अथवा पट्टे का नवीनीकरण न होने के कारण पट्टा प्रभावी नहीं है और पट्टे की शर्त के अनुसार पट्टागत भूमि में शासन को पुर्नप्रवेश का अधिकार प्राप्त है, में पूर्व पट्टेदार के अधिकार शून्य होते हैं।

अतः शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि नजूल भूमि पट्टों के ऐसे मामलों में, जिनमें पट्टे में भूमि के हस्तान्तरण/विक्रय पर प्रतिबन्ध है अथवा पट्टागत भूमि के हस्तान्तरण एवं विक्रय हेतु पट्टादाता की पूर्व लिखित अनुमति आवश्यक है या सम्बन्धित नजूल भूमि के पट्टे की अवधि समाप्त हो गयी है पट्टाधारक द्वारा फ्री–होल्ड कराये बिना नजूल भूमि का कोई विक्रय/हस्तान्तरण नहीं किया जायेगा।

कृपया उपरोक्त आदेश का कड़ाई से अनुपालन करते हुये अपने जनपद के रजिस्ट्री विभाग के अधिकारी को समुचित निर्देश देने का कष्ट करें।

भवदीय,

देवव्रत दीक्षित
विशेष सचिव